2011 का विधेयक सं. 11

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, **1989** को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अधिनियम, **2011** है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1992 **के राजस्थान अधिनियम सं** 19 **की धारा** 7 **का संशोधन.-**राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, **1989 (1992** का अधिनियम सं **19)** क़ी धारा **7** की विद्यमान उप-धारा (**1**) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> **"(1)** किसी भी संस्था द्वारा सहायता के लिए दावा अधिकार स्वरूप नहीं किया जायेगा और इस अधिनियम के या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन अनुदानित सहायता, राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बंद की जा सकेगी।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अध्यादेश, **2011 (2011** का अध्यादेश सं. **01)** इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, **1989** ऐसे समय पर अधिनियमित किया गया था जब राज्य में शैक्षिक संस्थाएं अधिक नहीं थीं। उस समय राज्य सरकार के संसाधन सीमित थे और शिक्षा के विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार की कदाचित् ही कोई स्कीम थी। प्राइवेट सेक्टर भी उन दिनों राज्य में शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने में अधिक उत्साहित नहीं था। प्राइवेट सेक्टर द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित किये जाने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस पूर्वोक्त अधिनियम को इस उपबंध के साथ अधिनियमित किया गया था कि राज्य सरकार, प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाओं को उनकी लागतों में भागत: सहयोग करने के लिए सहायता अनुदान मंजूर कर सके।

जब यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था उसके बाद की लम्बी कालावधि में स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। बड़ी संख्या में प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं राज्य में पहले से ही स्थापित की जा चुकी हैं और ऐसी शैक्षिक संस्थाएं इस तथ्य के कारण वित्तीय रूप से विकासक्षम हैं कि उन माता-पिता/संरक्षकों में, जो अपने बच्चों/प्रतिपाल्यों को प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं में भी भेजने के इच्छुक हैं, जागरूकता बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ, राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय व्यवस्थाओं के अलावा, सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के विस्तार के लिए सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन केन्द्र सरकार से भी प्रचुर मात्रा में निधि प्राप्त हो रही है।

इस परिवर्तित वातावरण को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसी विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं को, जिन्हें उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम के उपबंधों के अधीन सहायता अनुदान मंजूर किया गया है, सहायता-अनुदान देते रहना आगे आवश्यक नहीं है। इसलिए यह प्रस्तावित था कि उक्त अधिनियम में ऐसा समर्थकारी उपबंध किया जाये जिससे कि राज्य सरकार ऐसे सहायता अनुदान को वापस ले सके, जो किसी भी समय प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पूर्व में मंजूर किया गया था।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 31 जनवरी, **2011** को राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अध्यादेश, **2011 (2011** का अध्यादेश सं. **01)** प्रख्यापित किया जो राजस्थान राज-पत्र, असाधारण, भाग **4 (**ख) में दिनांक **3** फरवरी, **2011** को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

भंवरलाल मेघवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989

(1992 **का अधिनियम सं** 19) **से लिये गये उद्धरण**

xx **xx** **xx** **xx**

7. मान्यताप्राप्त संस्थाओं को सहायता का अनुदान.-(1) किसी भी संस्था द्वारा सहायता के लिए दावा अधिकार स्वरूप नहीं किया जायेगा।

(2) से (**7**) **xx** **xx** **xx** **xx**

xx **xx** **xx** **xx**

(Authorised English Translation)

Bill No. 11 of 2011

THE RAJASTHAN NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act,1989.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Non-Government Educational Institutions (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 31st January, 2011.

2. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 19 of 1992.–For the existing sub-section (1) of section 7 of the Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989 (Act No.19 of 1992), the following shall be substituted, namely:-

> "(1) No aid shall be claimed by an institution as a matter of right and an aid granted under the provisions of this Act or the rules made thereunder may be stopped by the State Government at any time.".

3. Repeal and savings.–(1) The Rajasthan Non-Government Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 01 of 2011) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989 was enacted at a time when there were not many educational institutions in the State. The resources of the State Government were limited then and there was hardly any scheme of the Central Government for expansion of education. The private sector was also not very enthusiastic in those days to set up educational institutions in the State. This aforesaid Act was enacted with a view to encouraging the setting up of educational institutions by the private sector with the provision that the State Government could sanction grant-in-aid to the Educational Institutions set by the private sector to partially contribute to their costs.

In the long period since this Act was enacted, the situation has changed substantially. A large number of private educational institutions have already been set up in the State and such educational institutions are financially viable on account of the fact that there is growing consciousness amongst the parents/guardians who are willing to send their children/wards to private educational institutions also. On the other hand, apart from adequate financial provisions by the State Government, substantial funding for expansion of the governmental educational institutions is being received from the Central Government under the Sarva Shiksha Abhiyan and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan.

Keeping in view this changed environment, the State Government is of the opinion that it is no longer necessary to keep on providing grant-in-aid to these various educational institutions to which grant-in-aid has been sanctioned under the provisions of the above-mentioned Act. Therefore, it was proposed that an enabling provision may be made in the said Act so that the State Government may at any time withdraw such grant-in-aid as had

been previously sanctioned to private educational institutions under the provisions of this Act.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore promulgated the Rajasthan Non-Government Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 01 of 2011) on 31st January, 2011, which was published in the Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 3rd February, 2011.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

भंवरलाल मेघवाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 1989
(Act No. 19 of 1992)

XX XX XX XX

7. Grant of aid to recognised institutions.–(1) No aid shall be claimed by an institution as a matter of right.

(2) to (7) **XX XX XX XX**

XX XX XX XX

Bill No. 11 of 2011

THE RAJASTHAN NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill

further to amend the Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(Master Bhanwarlal Meghwal, **Minister-Incharge)**

2011 **का विधेयक सं. 11**

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुडी़,
सचिव।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल**, प्रभारी मंत्री)**